प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 125/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 17 दिसंबर 2019: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ संबंधी मुद्दे'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा अपनी विभिन्न सेवाओं के लिए प्रस्तुत टैरिफ को विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है। भारत में दूरसंचार क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के टैरिफ प्रस्तावों में कई बदलाव देखे हैं। इससे न केवल दूरसंचार सेवाओं के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप भारत में दूरसंचार सेवाओं के शुल्क विश्व में सबसे कम हो गए हैं।

पिछले कुछ महीनों में, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के हालात के बारे में कई चिंताओं को उठाया गया है और दूरसंचार सेवाओं के लिए एक आधार मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से विभिन्न मुद्दों के बारे में इसके द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन को अग्रेषित किया है, जिसमें अन्य के साथ–साथ नियामक/सरकार द्वारा आधार टैरिफ के निर्धारण के संबंध में कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) की दलीलें शामिल हैं। इस संबंध में, टीएसपी के साथ टैरिफ संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक भी आयोजित की गई थी। टीएसपी ने उक्त बैठक में विभिन्न चिंताओं को उठाया है।

इस बीच, प्रमुख निजी टीएसपी ने अलग–अलग टीएसपी के लिए दिसंबर 2019 के 3 और 6 दिसंबर से लागू अपने टैरिफ प्रस्तावों में संशोधनों की घोषणा की है। इन टीएसपी के विभिन्न टैरिफ प्रस्तावों के लिए टैरिफ में 15 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इसके बाद, प्राधिकरण ने सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) से 3 दिसंबर 2019 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्राप्त किया, जिसमें नियामक द्वारा आधार मूल्य तय करने की मांग की गई थी।

भादूविप्रा ने अभी तक वैध कारणों से दूरसंचार टैरिफ को प्रविरत रखने की नीति का अनुसरण किया है। यह सेवा प्रदाताओं को बाजार की मांग के अनुसार अपने टैरिफ प्रस्ताव को डिजाइन करने की स्वतंत्रता और लचीलापन देता है। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियों को पूरे अवसर प्रदान करता है और परिणामस्वरूप पिछले दो दशकों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकांश अर्थशास्त्री भी मूल्य नियंत्रण के निर्धारण के खिलाफ सलाह देते हैं क्योंकि यह आर्थिक अक्षमताओं, उपभोक्ता नुकसान, बाजार की विकृतियों और कम नवाचार का कारण बनता है।

हालांकि, लगातार डेटा के बढ़ते उपयोग और सेवा की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और सुधार के लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है। क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तनों की तेज गति के लिए बड़े पूंजी निवेश की

आवश्यकता होती है। दूरसंचार क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदाता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना कि दूरसंचार क्षेत्र मजबूत रहे और इसकी क्रमिक वृद्धि भी समान रूप से महत्वपूर्ण हो।

ये वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और आगे बढ़ने के लिए सभी हितधारकों द्वारा इस पर विस्तृत विचार–विमर्श आवश्यक है।

तदनुसार, प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर एक परामर्श पत्र जारी करने का निर्णय लिया है ताकि मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों को विचार–विमर्श में भाग लेने और उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाले ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय देने का अवसर मिल सके।

इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार क्षेत्र में टैरिफ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सभी हितधारकों से टिप्पणी आमंत्रित करने के लिए "दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ संबंधी मुद्दे" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया है।

भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर "दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ संबंधी मुद्दे" संबंधी परामर्श पत्र अपलोड किया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां 17 जनवरी, 2020 तक और प्रति–टिप्पणी 31 जनवरी, 2020 तक आमंत्रित की गई हैं। उपरोक्त परामर्श पत्र पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री अमित शर्मा, सलाहकार (एफ एंड ईए), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली – 110002. (टेलीफोन/फैक्सः + 91–11–23234367, ईमेल–आईडीः advfea2@trai.gov.in) पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।